अध्याय-III

योजना का कार्यान्वयन

एम.डी.एम. योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी विद्यालयों मदरसों/मकतबों तथा प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक स्तरों के विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रत्येक बच्चे को पौषणिक, पका हुआ एम.डी.एम. प्रदान करने का समग्र उत्तरदायित्व राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों प्रशासनों के पास रहता है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल होगा।

- भोजन पकाने की लगात हेतु सहायता के प्रति पर्याप्त बजटीय प्रावधानों को सुनिश्चित करना तथा कार्यक्रम के सभी संघटकों नामत: भोजन पकाने की लागत, अवसंरचना रसोईघर उपकरणों का प्रापण आदि के प्रति निधियों के सामयिक प्रवाह हेतु प्रणालियों की स्थापना करना।
- योजना के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत राज्य के व्यय मापदण्डों को तैयार करना जो योजना के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम अंशदान से कम नहीं होंगे।
- रसोईघर-सह-स्टोर के निर्माण हेतु सुरक्षा विशिष्टताएं तैयार करना।
- भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) से सभी योग्य विद्यालयो, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों को अनाज के निरंतर तथा अविरल प्रवाह हेतु प्रणालियों की स्थापना करना।
- यह सुनिश्चित करना कि लोजिस्टिक तथा प्रशासनिक प्रबंधन प्रत्येक योग्य विद्यालय में पौष्टिक, पका हुआ एम.डी.एम. को नियमित परोसे जाने हेतु किए गए हैं। इसी प्रकार, योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए निधीयन के माध्यम से तथा अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ अभिसरण द्वारा अवसंरचना के सामयिक प्रापण तथा रसोईघर उपकरणों के प्रापण हेतु लोजिस्टिक तथा प्रशासनिक प्रबंधनों को सुनिश्चित करना।

- ❖ ऐसे दिशानिर्देशों को निरूपन करना जो यथार्थ स्वैच्छिक अभिकरणों तथा सविल समिति संगठनों की पहचान करने तथा जोड़ने हेतु माप दण्ड सहित कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित तथा सुविधा प्रदान करेंगे।

3.1 खाद्यान्नों का आवंटन

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य नोडल विभाग को प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक मंत्रालय को पूर्वगामी वर्ष के 30 सितम्बर को, योग्य बच्चों के नामांकन डाटा के आधार पर, अनाज के आवंटन हेतु जिला वार अनुरोध प्रस्तुत करने थे। राज्य के प्रस्ताव की संवीक्षा के पश्चात कार्यक्रम स्वीकृति बोर्ड (पी.ए.बी.) को जिला-वार खाद्यान्नों का आवंटन करना था। प्रत्येक राज्य सरकार/राज्य नोडल विभाग को राज्यव्यापी क्षेत्राधिकार तथा नेटवर्क वाले एकमात्र सरकारी/अर्ध-सरकारी अभिकरण अर्थात् राज्य सिविल आपूर्ति निगम को नामित करना था। यह अभिकरण एफ.सी.आई. के गोदामों से खाद्यान्न उठाने तथा उसकी तालूका/ब्लॉक स्तर पर मनोनित प्राधिकरण को आपूर्ति करने हेतु उत्तरदायी है।

राज्यों द्वारा आबंटित तथा उठाए गए अनाजों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि प्रक्षेपित नामांकन वास्तविक नामांकन की तुलना में अवास्तविक रूप से अधिक थे तथा परिणामस्वरूप मंत्रालय द्वारा अनाज के पर्याप्त रूप से अधिक आवंटन का कारण बने। नौ राज्यों[4] जिन्होंने 2009-10 से 2013-14 के दौरान आवंटन के प्रति 80 प्रतिशत से कम अनाज उठाया था, का ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है। कम अनाज उठाने के विभिन्न कारण निम्नानुसार थे:

- विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उनके वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी.) में बच्चों की संख्या का प्रक्षेपण अधिक था।
- नामांकन की तुलना में उन बच्चों की संख्या जिन्होंने एम.डी.एम. का लाभ उठाया था, कम थी।
- एम.डी.एम. वर्ष के दौरान कार्यक्रम स्वीकृति बोर्ड द्वारा स्वीकृत दिनों की संख्या से कम दिनों में प्रदान किया गया था।

[4] असम, बिहार, हरियाणा,जम्मू एवं कश्मीर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, चण्डीगढ़, लक्ष्द्वीप तथा पुदुचेरी

लेखापरीक्षा ने आठ राज्यों के नमूना जांच किए गए विद्यालयों में अनाज के कम उठाए जाने के उदाहरण भी पाए जो 2.77 प्रतिशत से 42 प्रतिशत के बीच थे, जैसा नीचे **तालिका 3.1** में दिया गया है:

तालिका 3.1: कम अनाज उठाए जाने के मामले

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1.	असम	120 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में अनाज 32 प्रतिशत तक कम उठाया गया था
2.	हरियाणा	66 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में 64 विद्यालयों में अनाज मापदण्डों के अनुसार प्रदान नहीं किया गया था तथा 37 विद्यालयों में अनाज में कमी 25 प्रतिशत से अधिक थी। परिणामस्वरूप, रिवाड़ी तथा सिरसा जिलों के 27 विद्यालयों में 19 से 536 दिनों के बीच की अवधि हेतु एम.डी.एम. पकाया जाना बाधित था।
3.	कर्नाटक	2009-14 के दौरान अनाज उठाने में कमी 32 से 42 प्रतिशत के बीच थी।
4.	मेघालय	नमूना जांच किए गए जिलों में 2009-14 के दौरान अनाज की 19229.40 एम.टी. की आबंटित प्रमात्रा के प्रति 598.27 एम.टी. (3.11 प्रतिशत) कम उठाया गया था।
5.	पंजाब	विभाग ने 2009-14 के दौरान आबंटित अनाज को 5.46 से 18.23 प्रतिशत तक कम उठाया था। परिणामस्वरूप, 90 चयनित विद्यालयों में से 32 में अनाज की कमी का सामना किया तथा इसका अन्य विद्यालयों से ऋण आधार पर प्रापण किया था। इसके अतिरिक्त, एम.डी.एम. को अनाज की अनुपलब्धता के कारण 20 विद्यालयों में 1011 दिनों तक प्रदान नहीं किया जा सका था।
6.	राजस्थान	नमूना जांच किए जिले झालावार में 14.54 प्रतिशत से 17 प्रतिशत के बीच कम अनाज उठाया गया था।
7.	दिल्ली	2010-14 के दौरान 857.04 से 3538.159 एम.टी. तक के बीच अनाज का कम उठाया जाना पाया गया था जो आवंटन का 9.39 से 21.85 प्रतिशत तक बनता है।
8.	पुदुचेरी	2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान विभाग द्वारा चावल उठाने में कमी 2.77 प्रतिशत से 33.13 प्रतिशत के बीच थी।

निम्नलिखित मामलों में, तथापि, राज्यों ने आबंटनों के प्रति 5182.22 एम.टी. अधिक अनाज उठाया था जैसा नीचे **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.2: अधिक अनाज उठाए जाने के मामले

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	आबंटित अनाज (एम.टी. में)	उठाया गया अनाज (एम.टी. में)	उठाया गया अधिक अनाज (एम.टी. में)
1.	अरूणाचल प्रदेश	2010-11	4544.67	5928.39	1383.72 (30.44 प्रतिशत)
		2011-12	6677.00	7530.00	853.00 (12.*77* प्रतिशत)
2.	हिमाचल प्रदेश	2012-13	19323.70	19792.52	468.82 (2.43प्रतिशत)
3.	नागालैण्ड	2010-11	6227.56	6570.21	342.65 (5.50 प्रतिशत)
		2011-12	5828.20	6945.99	1117.79 (19.18 प्रतिशत)
4.	दिल्ली	2013-14	29957.40	30950.87	993.47 (3.32 प्रतिशत)
5.	लक्षद्वीप	2013-14	247.12	269.89	22.77 (9.21 प्रतिशत)
		कुल	**72805.65**	**77987.87**	**5182.22**

यद्यपि इन राज्यों ने अधिक अनाज उठाया था फिर भी लेखापरीक्षा ने इन राज्यों में पिछले वर्ष की तुलना में बच्चों के नामांकन में कमी पाई थी जो निर्गम केन्द्रों में पर्याप्त नियंत्रण प्रक्रिया के अभाव को दर्शाता है।

अनाज उठाने, परिवहन तथा उपयोग से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने विभिन्न अनियमितताओं को उजागर किया, जैसा निम्न मामला अध्ययनों में ब्यौरा दिया गया है:

मामला अध्ययन

1. वास्तविक खपत के अनुसार अनाज उठाना तथा उपयोग

भारत सरकार एम.डी.एम. योजना के अंतर्गत प्राथमिक हेतु 100 ग्राम तथा उच्चतर प्राथमिक हेतु 150 ग्राम प्रति बच्चा प्रति दिन की दर पर अनाज की मुफ्त आपूर्ति करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि **यू.टी., चण्डीगढ़** ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान लगातार कम अनाज उठाया जो कुल आवंटन के 49 प्रतिशत से 67 प्रतिशत के बीच था। निर्धारित मापदण्डों (100 ग्राम/150 ग्राम) के प्रति प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर अनाज का उपयोग प्रति बच्चा क्रमश: 62 से 87 ग्राम तथा 70 से 107 ग्राम के बीच था।

विभाग ने अपने उत्तर *(*अक्तूबर 2014*)* में बाताया कि बच्चे भोजन की कम प्रमात्रा का उपयोग करते हैं तथा इसलिए अनाज का उठाना तथा उपयोग वास्तविक खपत के अनुसार था। उत्तर, योजना प्रावधानों के संगत नहीं है।

2. बच्चों हेतु निर्धारित अनाज के उच्चतर मापदण्ड

केरल में अप्रैल 2011 से मार्च 2012 के दौरान सभी 14 जिलों में योजना के कार्यान्वयन को बाहरी अभिकरण अर्थात् विकास अध्ययन केन्द्र (सी.डी.एस.) द्वारा मूल्यांकित किया गया था। सी.डी.एस. ने पाया कि कुछ विद्यालयों ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक बच्चे हेतु निर्धारित चावल की वर्तमान प्रमात्रा की, विशेष रूप से बालिकाओं के लिए, पूरी तरह आवश्यकता नहीं थीं। सचिव, सामान्य शिक्षा विभाग ने भी लेखापरीक्षा को सूचित किया कि प्रमात्रा आवश्यकता से अधिक थी। यद्यपि निर्धारित प्रमात्रा को एम.डी.एम. खातों में डेबिट कर दिया गया था फिर भी वास्तविक उपयोग कम प्रमात्राओं का था तथा इसलिए बचत किया गया शेष अनाज त्यौहार अवसरों पर बच्चों को प्रदान किया गया था। विभाग का दृष्टिकोण इस तथ्य को उजागर करता है कि मापदण्ड वास्तविक आवश्यकता पर आधारित नहीं है तथा प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मापदण्डों की समीक्षा तथा संशोधन की आवश्यकता है।

3. एम.डी.एम. अनाज का दुरूपयोग ₹1.91 करोड़

मंत्रालय के अनुदेशों (फरवरी 2010) ने जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एफ.सी.आई. से चावल उठाना आपेक्षित किया। इसके अतिरक्त, परिवहन ऐजेंट (टी.ए.) द्वारा उठाई गई चावल की प्रमात्रा तथा ब्लाक/विद्यालय प्वाईटों पर सुपुर्द की गई प्रमात्रा का चावल की किसी प्रकार की कम आपूर्ति तथा चोरी की संभावना से बचने हेतु नियमित मिलान किया जाना था।

ओडिशा में, लेखापरीक्षा ने जिला स्तर पर अनाज प्रबंधन की जांच की और पाया कि एफ.डी.आई. से उठाई गई प्रमात्रा तथा विद्यालय प्वाईटों पर प्रदान की गई प्रमात्रा के नियमित समाधान की कोई क्रियाविधि नहीं थी। इसके अतिरिक्त, टी.ए. द्वारा प्रस्तुत बिलों को सुपुर्दगी स्थान पर सुपुर्द की गई प्रमात्रा के साथ इसका मिलान किए बिना केवल सुपुर्दगी चालानों के आधार पर भुगतानों हेतु पारित किया गया था। यह कम सुपुर्दगी के साथ-साथ ₹1.91 करोड़ के 806.15 एम.टी. चावल के गबन का कारण बना जैसा नीचे दर्शाया गया है:

- जिला केन्द्रपारा के तीन ब्लाक शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ओ.) (ऊल, मार्शघई तथा महाकालपाड़ा) के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि जबकि 2143.25 एम.टी. चावल को एफ.सी.आई. डिपो से अप्रैल 2013 तथा अगस्त 2014 के बीच उठाया गया था, फिर भी टी.ए. द्वारा वास्तविक सुपुर्दगी केवल 1758.71 एम.टी. की थी। इस प्रकार, ₹91.07 लाख[5] की कीमत के 384.54 एम.टी. चावल की कम सूपूर्दगी की गई थी। परिणामी राशि को अभी भी वसूल किया जाना था। ऊल, मार्शघई तथा महाकालपाड़ा के बी.ई.ओस. ने तथ्यों को सुनिश्चित करते हुए बताया कि इसे जिला नोडल कार्यालय को सूचित किया जाएगा। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2015)।
- केन्द्रपारा में, टी.ए. ने एफ.सी.आई. डिपो से 410.35 एम.टी. चावल उठाया था। (दिसम्बर 2011) परंतु उसने विद्यालय केन्द्रों पर केवल 362.35 एम.टी. की सुपुर्दगी की थी। इस प्रकार, ₹11.37 लाख की कीमत के 48.00 एम.टी. चावल की कम सुपुर्दगी की गई थी। जिला सामाजिक

[5] 2013-14 में ₹2368.36 प्रति क्विंटल की दर पर सी.एम.आर. लागत को 3845.37 क्विंटल से गुणा करके

कल्याण अधिकारी (डी.एस.डब्ल्यू.ओ.) ने अनाज की अनुपाती लागत की वसूली नहीं थी तथा इसके स्थान पर जून 2012 में टी.ए. को ₹15.00 लाख का प्रतिभूति जमा जारी किया।

डी.एस.डब्ल्यू.ओ. ने प्रतिभूति जमा के निर्गम को स्वीकार करते समय बताया (सितम्बर 2014) कि टी.ए. को चावल के संवितरण पर शेष चालानों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

इसी प्रकार, केन्द्रपारा में टी.ए. ने एफ.सी.आई. डिपो से 4278.698 एम.टी. एम.डी.एम. चावल उठाया (जनवरी 2012 से जनवरी 2013) तथा केवल 4022.822 एम.टी. के परिवहन का दावा किया था। इसने अनाज की कम सुपुर्दगी को दर्शाया। परिवहन लागत के प्रति दावा की गई राशि कम सुपुर्दगी किए गए शेष 255.876 एम.टी. चावल की लागत होने से ₹60.60 लाख की वसूली किए बिना अदा (मार्च 2013) की गई थी।

- डी.एस.डब्ल्यू.ओ. बालांगिर ने ब्लाक विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) लोइसिंधा को ब्लाक के अंतर्गत विभिन्न प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को संवितरण हेतु 653.04 एम.टी. चावल की आपूर्ति (अप्रैल 2009 से मार्च 2011) की थी। डी.एस.डब्ल्यू.ओ. को टी.ए. द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगी चालानों के साथ संबंधित बी.डी.ओ. के चावल स्टॉक रजिस्टर के प्रतिसत्यापन पर लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल 547.06 एम.टी. चावल ब्लाक केन्द्र पर प्राप्त किया गया था जबकि टी.ए. द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगी चालानों ने बी.डी.ओ. द्वारा पूर्ण प्रमात्रा की प्राप्ति को दर्शाया। इसका परिणाम ₹25.10 लाख[6] के मूल्य के 105.98 एम.टी. एम.डी.एम. चावल के संभावित गबन में हुआ।
- विद्यालयों में चावल सुपुर्दगी का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा ने गुडवैला ब्लाक में 13 विद्यालयों के स्टाक रजिस्टरों/सुपुर्दगी चालानों तथा बालांगिर जिले के लोइसिंघा तथा मुरीबाहल ब्लाकों में 26 विद्यालयों की रिपोर्ट/रिर्टन की प्रति जांच की तथा पाया कि 22 मामलों में चावल की आपूर्ति नहीं की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि टी.ए. ने 5.00

[6] 2368.36 प्रति क्विंटल की दर पर 1 सी.एम.आर.-2013-14 में मूल्य को, 1059.800 क्विंटल से गुणा किया गया

एम.टी. चावल की सुपुर्दगी चालान प्रस्तुत किए थे जबकि 20 मामलों में टी.ए. ने विद्यालयों में प्राप्त चावल की तुलना में 6.75 एम.टी. चावल की अधिक सुपुर्दगी का दावा किया था। इसी प्रकार कटक जिले में कटक सदर ब्लाक तथा अथगढ़ ब्लाक में नमूना जांच पर उजागर हुआ कि 9 विद्यालयों से संबंधित 13 मामलों में 2.15 एम.टी.चावल की कम/गैर-आपूर्ति थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि आपूर्ति को टी.ए. द्वारा सुपुर्दगी चालानों से धोखे से फेर बदल करके बढ़ाया गया था, जैसा नीचे चित्र में दर्शाया गया है:

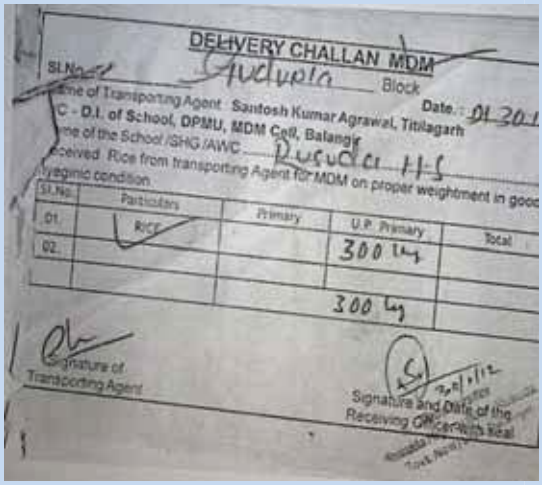

DELIVERY CHALLAN MDM

Gudvela Block Date: 01 20-1

Name of Transporting Agent Santosh Kumar Agrawal, Titilagarh

A/C - D.I. of School, DPMU, MDM Cell, Balangir

Name of the School /SHG /AWC Rusuda H.S.

Received Rice from transporting Agent for MDM on proper weightment in good hygenic condition

Sl.No.	Particulars	Primary	U.P. Primary	Total
01.	RICE		300 kg	
02.				
			300 kg	

Signature of Transporting Agent

Signature and Date of the Receiving Officer with seal

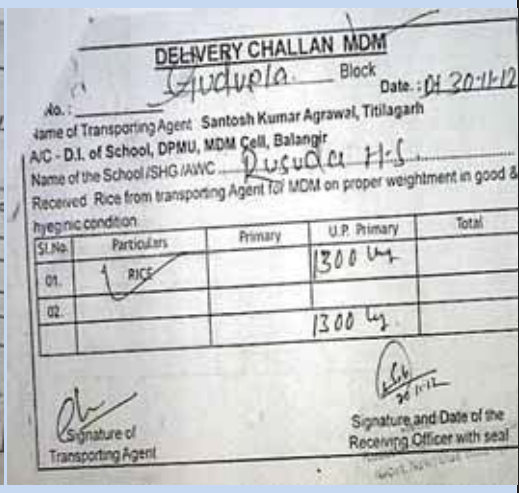

चित्र 1: विद्यालय के पास 300 कि.ग्रा. चावल की सुपुर्दगी दर्शाने वाले चालान

DELIVERY CHALLAN MDM

Gudvela Block Date: 01 20-11-12

No.:

Name of Transporting Agent Santosh Kumar Agrawal, Titilagarh

A/C - D.I. of School, DPMU, MDM Cell, Balangir

Name of the School /SHG /AWC Rusuda H.S.

Received Rice from transporting Agent for MDM on proper weightment in good & hygenic condition

Sl.No.	Particulars	Primary	U.P. Primary	Total
01.	RICE		1300 kg	
02.				
			1300 kg	

Signature of Transporting Agent

Signature and Date of the Receiving Officer with seal

चित्र 2: ब्लाक नोडल अधिकारी (बी.एन.ओ.) को 1300कि.ग्रा.की सुपुर्दगी का दावा करते टी.ए. द्वारा प्रस्तुत चालान

ये मामले दर्शाते हैं कि अनाज के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी जिला स्तरीय अधिकारी उचित सचेतना रखने में विफल रहा।

4. उत्तर प्रदेश में अनाज का कपटपूर्ण उठायाजाना/ गैर-सुपुर्दगी

- **मिर्जापुर** जिले के मनिहान ब्लाक में ₹4.47 लाख के मूल्य का 89.58 एम.टी. अनाज अक्तूबर 2013 में डी.आर.एम.ओ. द्वारा एम.डी.एम.ए./मूल शिक्षा अधिकारी (बी.एस.ए.) से आवंटन के बिना उठाया गया था। अनाज की अनियमित रूप से कोटेदारों को सुपुर्दगी की गई थी।

- **गाजीपुर** में, ₹66.70 लाख के मूल्य का गेहूँ (4898.77 क्विंटल) तथा चावल (8207.18 क्विंटल) को नवम्बर 2010 से अगस्त 2013 की अवधि के दौरान कोटेदारों द्वारा ब्लाक गोदाम से उठाया गया था परंतु सामग्री की विद्यालयों को सुपुर्दगी नहीं की गई थी।
- **मिर्जापुर** में, एफ.सी.आई. से उठाए गए तथा 2009-14 के दौरान अदा किए गए ₹80.58 लाख के मूल्य के 1627.23 एम.टी. अनाज की स्थिति गैर - निर्धारणीय रही।
- जिला **गाजीपुर** में, ₹59.77 लाख के मूल्य के 1174 एम.टी. अनाज को जबकि एफ.सी.आई. से उठाया गया था, परंतु ब्लाक गोदामों को इसकी सुपुर्दगी नहीं की गई थी।
- **सहारनपुर** में, एफ.सी.आई. से उठाए गए[7] तथा यू.पी.एफ; एवं सी.एस.डी. के ब्लॉक गोदामों[8] में उपलब्ध अनाज में 302 एम.टी. की विभिन्नता थी।

5. एम.डी.एम. योजना का संदेहास्पद कार्यान्वयन

मणीपुर में, चंदैल जिले के नौ नमूना जांच किए गए विद्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि 2011-14 के दौरान बच्चों को एम.डी.एम. 3391 विद्यालय दिवसों पर प्रदान किया गया था जबकि उसी अवधि के दौरान कुल विद्यालय दिवसों को केवल 3191 तक परिकलित किया गया था जो अभिलेखों के झूठे होने तथा लीक होने की संभावता को दर्शाता है। इसी प्रकार इम्फाल पूर्व जिले के मामले में उदाहरण पाए गए थे जहॉ एम.डी.एम. को 4101 कुल उपलब्ध विद्यालय दिवसों के प्रति 4715 विद्यालय दिवसों हेतु प्रदान किया गया सूचित किया गया है।

6. सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों एम.डी.एम. की आपूर्ति गै.स.सं. द्वारा की गई थी। प्राथमिक विद्यालय बजदारन-।। जिला सहारनपुर के शहरी क्षेत्र में स्थित था। शिक्षक की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय अक्तूबर 2011 से बंद था। तथापि, इटरोक्टिव ध्वनि प्रतिक्रिया प्रणाली (आई.वी.आर.एस.) ने 2014-15 के दौरान (अक्तूबर

[7] डी.आर.एम.ओ. द्वारा प्रस्तुत बिलों के अनुसार

[8] कार्यालय क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, सहारनपुर में अनुरक्षित खाता-बही के अनुसार

2014 तक) 1779 भोजन प्रदान किए गए थे। पहले के वर्षों के दौरान प्रदान किए गए भोजन के संबंध में डाटा आई.वी.आर.एस. पर उपलब्ध नहीं था। मामला फर्जी अभिलेखों के सृजन को दर्शाता है जिसकी जांच की आवश्यकता है।

3.2 आबंटित तथा उठाए गए अनाज में विभिन्नता

लेखापरीक्षा के दौरान, 2009-10 से 2013-14 की अवधि हेतु अनाज उठाने पर डाटा 29 राज्यों से प्राप्त किया गया था, उसकी, मंत्रालय के पास उपलब्ध डाटा के साथ तुलना की गई थी। इन आंकड़ों की तुलना अनुबंध- V में दी गई है।

- आंकड़ों के विश्लेषण ने राज्यों द्वारा उठाए गए अनाज के आंकड़ों तथा मंत्रालय के बीच असंगतियां थी।
- 14 राज्यों ने मंत्रालय के अभिलेखों की तुलना में 225473.20 एम.टी. अनाज को कम उठाए जाने को सूचित किया था। इन 14 राज्यों में से आठ राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली ने 222959.14 एम.टी. अनाज कम उठाया था। इस प्रकार, मंत्रालय के अभिलेखों के संबंध में कम उठाए जाने को दर्शाने वाले अनाज के आंकड़ों में विभिन्नता, अनाज के गबन तथा चोरी की संभावना को दर्शाती है।
- 16 राज्यों ने मंत्रालय के अभिलेखों की तुलना पर अनाज के अधिक उठाए जाने को सूचित किया था। बेमेल 56685.70 एम.टी की सीमा तक था। छः राज्यों अर्थात् **छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब** तथा **राजस्थान** ने 53249.49 एम.टी. अनाज के अधिक उठाए जाने को सूचित किया था। इसलिए डाटा की सम्पूर्णता संदेहास्पद थी।
- अनाज की प्रमात्रा में विभिन्नता दर्शाती है कि संबंधित नोडल विभाग आबंटित अनाज के उपयोग के संबंध में मंत्रालय को गलत आवधिक रिर्टन/उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर रहे थे।

3.3 सेवा प्रदाताओं के पास अनाज के सुरक्षित भण्डार की अनुपलब्धता

विकेन्द्रीकरण हेतु दिशानिर्देशों के पैरा 2.6 ने अभिकल्पित किया कि जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक उपभोक्ता इकाई अनाज के सुरक्षित भण्डार का अनुरक्षण कर रही है जो अप्रत्याशित आवश्यकताओं के कारण बाधा से बचने हेतु एक माह तक अपेक्षित है।

राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में चयनित विद्यालयों की लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि 11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रो (राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, अरूणाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, उत्तराखण्ड, नागालैण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी) में अनाज के सुरक्षित भण्डार का अनुरक्षण करने की कोई प्रणाली नहीं थी।

तमिलनाडु में 148 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 21 से 41 विद्यालयों में 2009-10 से 2013-14 के दौरान अपेक्षित सुरक्षित भण्डार नहीं था।

गोवा में, लेखापरीक्षा द्वारा दौरो किए गए 29 स्वंय सेवी समूहों (एस.एच.जी.) में एक महीने की आवश्यकता हेतु अनाज के किसी सुरक्षित भण्डार का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।

दिल्ली में, जनवरी से मार्च 2014 तक की अवधि का स्टाक रजिस्टर ने अनाज के ऋणात्मक अध तथा अंत शेषों को दर्शाया जो 227.33 एम.टी. से 1005.05 एम.टी. के बीच थे। इस प्रकार, लेखांकन तथा सत्यापन प्रक्रियाएं समग्र रूप से अपर्याप्त थीं।

इसलिए, एक माह हेतु अनाज के सुरक्षित भण्डार के गैर-अनुरक्षण ने बच्चों को सभी कार्य दिवसों पर गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किए जाने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। लेखापरीक्षा ने 20 राज्यों में एम.डी.एम. में विघटन के पर्याप्त मामले पाए। ब्यौरे **अनुबंध-VI** में दिए गए हैं।

3.4 अनाज की स्पष्ट औसत गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) को सुनिश्चित नहीं किया गया

एम.डी.एम. दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय खाघ निगम (एफ.सी.आई.) को उपलब्ध उत्तम गुणवत्ता का अनाज जारी करना था, जो किसी भी मामले में, कम से कम औसत गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) का होगा तथा वह अच्छी गुणवत्ता के अनाज की पर्याप्त प्रमात्रा को निरतंर उपलब्धता को भी सुनिश्चित करेगा। जिलाधीश को यह सुनिश्चित करना था कि एफ.सी.आई. द्वारा कम से कम एफ.ए.क्यू. के अनाज जारी किए गए थे। इसे एफ.सी.आई. प्रतिनिधि तथा क्लेक्टर के एक मनोनित को मिलाकर बने एक दल द्वारा संयुक्त निरीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

34 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जिला/विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया कि:

अरूणाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड तथा **दिल्ली** के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों एफ.ए.क्यू. के संबंध में कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।

असम, बिहार, मेघालय, झारखण्ड तथा **पुदुचेरी** में विद्यालयों की नमूना जांच ने दर्शाया किया अनाज की गुणवत्ता की जांच करने हेतु कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया था।

मामला अध्ययन

1. अच्छी गुणवत्ता के चावल हेतु खुले बाजार में बदले गए बेचे गए चावल की खराब गुणवत्ता

गोवा में 85 स्वंय सेवी समूह (एस.एच.जी.), जो 2009-14 के दौरान बच्चो को एम.डी.एम. की आपूर्ति कर रहे थे, ने घटिया गुणवत्ता के कारण एफ.सी.आई. से प्राप्त चावल तथा गेंहु को वापस नहीं किया था परंतु अच्छी गुणवत्ता हेतु इसे खुले बाजार में बदला अथवा बेचा था।

29 एस.एच.जी. में से, लेखापरीक्षा ने पाया कि 17 एस.एच.जी. ने एफ.सी.आई. द्वारा आपूर्ति किए गए 3468.04 क्विंटल चावल को खुले बाजार से बदला/बेचा था। इसके

अतिरिक्त, 16 एस.एच.जी. ने एफ.सी.आई. द्वारा आपूर्ति किए गए चावल तथा गेहुं दोनो को बेचा था । जबकि 12 एस.एच.जी. ने चावल का उपयोग किया तथा गेहुं को बेचा था फिर भी एक एस.एच.जी. ने चावल को बदला तथा गेहुं का उपयोग किया था। चावल का मूल्य ₹30 से ₹35 प्रति कि.ग्रा. के बीच था। इसी अवधि के दौरान 28 एस.एच.जी. ने खुले बाजार में 5369.16 क्विंटल गेहू बदला/बेचा था। इस प्रकार एफ.सी.आई. द्वारा 855 एस.एच.जी. को आपूर्ति की गई चावल/गेहुं की भारी प्रमात्रा को खुले बाजार में प्रवाहित किया गया था जो यह भी दर्शाता है कि एफ.सी.आई. द्वारा आपूर्ति किए गए चावल न तो एफ.ए.क्यू. के थे और न ही बच्चो को परोसे जाने हेतु उपयुक्त थे।

एस.एच.जी. द्वारा घटिया गुणवत्ता के चावल के बदले में प्राप्त चावल की प्रमात्रा अनिश्चेय तथा बेहिसाब थी। इसलिए, लेखापरीक्षा आवश्वासन प्राप्त नहीं कर सका कि क्या बच्चों को निर्धारित भोजन की इष्टतम प्रमात्रा प्रदान की गई थी।

2. जिला स्तर पर अनाज की एफ.ए.क्यू. को सुनिश्चित नहीं किया गया था

इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम (एम.पी.एस.सी.एस.सी.) 2013-14 के दौरान विकेन्द्रित प्रापण (डी.सी.पी.) योजना के अंतर्गत अनाज की आपूर्ति करने को प्राधिकृत था। नमूना जांच किए गए जिलों के अभिलेखो ने प्रकट किया कि एम.पी.एस.सी.एस.सी. ने कोटि 'क' के चावल के बजाए एम.डी.एम. हेतु सामान्य कोटि के चावल की आपूर्ति की थी जिसकी पहले 2012-13 तक एफ.सी.आई. द्वारा आपूर्ति की जा रही थी। इस प्रकार, एफ.ए.क्यू. अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं थी जैसा निम्न चित्र में दर्शाया गया है:

चित्र 3: चावल के भण्डार में भारतीय भोजन कीठ लार्वा का प्रजनन पी.एस. धर्मदास ब्लॉक पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपूर, मध्य प्रदेश

दिनाँक 14 अक्टूबर 2014

चित्र 4: सीले स्थान पर बोरो में अनाज के भण्डारण के कारण भारतीय भोजन कीठ लार्वा का प्रजनन- एम.एस. पोदी चोड़ी, जिला अनूपपूर मध्यप्रदेश दिनांक 16 अक्टूबर 2014

3. एफ.सी.आई. द्वारा उत्तम गुणवत्ता के अनाज की आपूर्ति न किया जाना

उत्तर प्रदेश में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कोटि 'क' चावल की आपूर्ति करने के बजाए एफ.सी.आई. ने 2009-14 के दौरान 660011.72 एम.टी. (आपूर्ति किए गए कुल 939111.301 एम.टी. चावल का 70.64 प्रतिशत) आम कच्चे चावल (आर.आर.सी.) की आपूर्ति की थी। इस प्रकार, योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में एफ.सी.आई. द्वारा उत्तम गुणवत्ता के चावल जारी नहीं किए गए थे।

एफ.सी.आई. ने बताया कि कोटि 'क' के चावल केवल तभी जारी किए गए थे जब कोई आम चावल नहीं था या कोटि 'क' चावल पिछली अवधि से संबंधित है। एफ.सी.आई. का उत्तर अनाज जारी करने हेतु मंत्रालय के दिशानिर्देशों अनुकूल नहीं था।

लक्षद्वीप में बच्चों तथा माता-पिता ने एफ.सी.आई. द्वारा आपूर्ति किए गए चावल की घटिया गुणवत्ता के सबंध में शिकायत की। बाद में एफ.सी.आई. ने 2013-14 के आगे से अच्छी गुणवत्ता के चावल की आपूर्ति करना प्रारम्भ कर दिया।

दिल्ली में 2009-2014 के दौरान जांच हेतु अनाज का कोई नमूना नहीं उठाया गया था। यह भी पाया गया था कि उठाए जाने के समय अनाज की गुणवत्ता पर कोटि 'क' के रूप में लेबल लगाया जा रहा था परंतु यह गुणवत्ता एम.डी.एम. रसोई घर तक नहीं पहुंची थी। यह इस तथ्य से उजागर हुआ कि एक सेवा प्रदात्ता की दक्षिण पश्चिम दिल्ली के केन्द्रीय रसोईघर के अनाज उपलब्ध स्टाक को घटिया पाया गया था तथा वह कीड़ो से ग्रस्त था और गैर-अनाज तत्व शामिल थे जिसकी व्यापक सफाई की आवश्यकता थी। यह दर्शाता है कि चावल एफ.ए.क्यू. का नहीं था।

जैसा उपर्युक्त से स्पष्ट है कि घटिया गुणवत्ता के चावल की आपूर्ति किए जाने के कई मामले थे जो बच्चो को स्वास्थ्य संकट की ओर प्रस्तुत करते थे। नियमित जांच के माध्यम से एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की प्रणाली बड़े पैमाने पर अनुपलब्ध थी।

3.5 पका हुआ भोजन प्रदान किए जाने में विघटन

एम.डी.एम. योजना प्रावधान करती है कि विद्यालय में उपस्थित हो रहे प्रत्येक बच्चे को सभी विद्यालय दिवसों को दोपहर का भोजन प्रदान किया जाएगा। दिशानिर्देशों का पैरा 3.3 अभिकल्पना करता है कि राज्य पौष्टिक पके हुए भोजन के नियमित तथा निरंतर प्रावधान को सुनिश्चित करने हेतु मापदण्डों तथा रीतियो को विनिर्दिष्ट करे। राज्य सरकार/सं.शा.क्षे. प्रशासनों को आम बाधाओं, जो पके हुए दोपहर के भोजन की नियमित आपूर्ति के मार्ग में आ सकती है, को ध्यान में रखते हुए विस्तृत दिशानिर्देशों को विकसित तथा प्रचारित करना था।

इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2001 में निर्देश दिया था कि सभी राज्यों को एक वर्ष में कम से कम 210 दिनों तक प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करना चाहिए।

20 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नमूना जांच किए गए विद्यालयों मे बच्चो को पका हुआ भोजन प्रदान करने में सार्थक विघटन पाए गए थे। विघटन के कारण अनाज की कमी/प्राप्ति में विलम्ब, निधियों की अनुपलब्धता, रसोइयों का अभाव आदि को आरोपित थे। ब्यौरे अनुबंध-VI में दिए गए हैं।

मामला अध्ययन

1. *संयुक्त निरीक्षण के दिन एम.डी.एम. प्रदान न किया जाना*

***मध्यप्रदेश** में, दस जिलों के नमूना जांच किए गए विद्यालयों में सितंबर 2014 से दिसंबर 2014 के बीच किए गए संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि सात नमूना जांच किए गए जिलों (अनूपपूर, भोपाल, धार, ग्वालियर, जबलपूर, राजगढ़ तथा विधिशा) में 12 विद्यालयों में निरीक्षण के दिन एम.डी.एम. प्रदान नहीं किया गया था। बच्चो को भोजन प्रदान न करने के मुख्य कारण स्वंय सेवी समूह (एस.एच.जी.) द्वारा भोजन की गैर-आपूर्ति, रसोइयों का अभाव आदि थे।*

3.6 बच्चों के पौषणिक स्तर की वृद्धि

सरकार का एक योजना उद्देश्य प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक बच्चों के पौषणिक स्तर का सुधार करना था। बच्चो की स्वास्थ्य स्थितियों को जनक शिक्षक संघ (पी.टी.ए.)/विद्यालय स्तरीय प्रबंधन तथा विकास समितियां (एस.एम.डी.सी.) द्वारा मॉनीटर किया जाना था। अभी भी स्वास्थ्य तथा पौषण पहलुओं का यह समावेशन कागज पर ही रहा क्योंकि बच्चों में स्वास्थ्य स्तरों में संवृद्धित विकास को मॉनीटर करने हेतु कोई मूल संकेतकों अथवा पौषणिक स्थिति के माप हेतु विशिष्ट मापदण्डों (ऊचाई तथा भार आदि) को मंत्रालय द्वारा, बैंचमार्क के रूप में कार्य करने हेतु, स्थापित नहीं किया गया था।

यह केवल 2007 में था, कि मानव संशाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को, बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच करने का अनुरोध किया था तथा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अंतर्गत पौषणिक मॉनीटरिंग सहित विद्यालयों स्वास्थ्य कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने हेतु भी जनवरी 2007 में अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, एम.एच.आर.डी. ने मई 2013 में सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. के शिक्षा सचिवों तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को भी, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अच्छे कार्यान्वयन हेतु एक संदेश प्रेषित किया था। बच्चों के आवृतन पर डाटा एकत्रित करने अथवा पौषणिक स्थिति में सुधार का पत्ता लगाने हेतु कोई अनुपालना कार्रवाई नहीं की गई थी।

3.6.1 सूक्ष्मपौषको तथा स्वास्थ्य जांचो का प्रबन्ध

दिशानिर्देशों के पैरा 4.5 ने निर्धारित किया कि एम.डी.एम. को (क) डी-वार्मिंग तथा विटामिन ए सम्पूरण हेतु छः माही खुराक, (ख) साप्ताहिक आईरन तथा फोलिक एसिड संपूरक, जिंक तथा (ग) स्थानीय क्षेत्र में पाई गई आम कमियों पर निर्भर अन्य सामान्य सम्पूरणों के प्रबन्ध के माध्यम से सूक्ष्मपोषक सम्पूरणों तथा डी-वार्मिंग से पूरक किया जाना चाहिए।

छः राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (**अरूणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, मणिपुर, नागालैण्ड** तथा **सिक्किम**) के नमूना जांच किए गए विद्यालयों में बच्चों में क्षेत्र विशिष्ट रोगो के फैलाव की रोकथाम हेतु, एक बचाव उपाय के रूप में, बच्चों को सूक्ष्मपोषक तथा सम्पूरक प्रदान नहीं किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, 17 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नमूना जांच किए गए विद्यालयों में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियों को पाया:

- बच्चों में क्षेत्र विशिष्ट कमी की पहचान नहीं की गई थी।
- चिकित्सा शिविरों का आयोजन करने में कमी थीं।
- बच्चों में सूक्ष्मपोषक की गोलियों का संवितरण नहीं किया जा रहा था।
- बच्चे कम वजन के पाए गए थे तथा उन्हे विटामिन ए तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याओं सहित रूग्ण निदान किया गया था। उन्हे पर्याप्त सूक्ष्मपोषक सम्पूरक प्रदान नहीं किए गए थे।
- डी-वार्मिंग की छः माही खुराक तथा आईरन तथा फोलिक एसिड, जिंक जैसे साप्ताहिक सम्पूरक बच्चों को नियमित रूप से प्रदान नहीं किए गए थे।
- गोलियों का विद्यालयों में ढेर लगा पाया गया। अधिकांश गोलियों की शैल्फ लाईफ समाप्त थी।

राज्य-वार कमियों को अनुबंध-**VII** में उजागर किया गया है तथा कुछ मामलों का नीचे मामला अध्ययन के रूप में ब्योरा दिया गया है:

मामला अध्ययन

ओडिशा में, 148 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 134 में 2009-14 के दौरान आई.एफ.ए. तथा एलबेंडोजोल गोलियां बच्चों को प्रदान नहीं की गई थीं। केन्द्रपारा जिले के अंतर्गत उदयभट उच्च प्राथमिक क्लस्टर विद्यालय के संयुक्त निरीक्षण ने प्रकट किया कि कार्यालय कक्ष में गोलियों की बड़ी प्रमात्रा का ढ़ेर लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, अधिकांश मामलों में गोलियों की अंतिम तिथि भी समाप्त हो चुकी थी।

क्र.सं.	गोली का नाम	प्रमात्रा	निम्न को समाप्त
1.	एलबेंडोजोल ओरल सस्पेंशन (बैच सं. 24072- बी.जी. 21)	400	जून 2014
2.	एलबेंडोजोल गोली 1 पी. 400 एम.जी. (बैंच सं. ए.बी/1003)	1330	अक्टूबर 2014
3.	फोलिक एसिड तथा फेरेस गोली एन.एफ.आई. (छोटी) (बैच सं. एफ.आई.टी. 29-116)	16000	जून 2014
4.	फोलिक एसिड तथा फेरेस गोली (बड़ी) (बैच सं. एफ.एफ.टी. 29-109)	12000	मई 2014

चित्र 5: केन्द्रपारा जिले में उदयभट उच्च प्राथमिक क्लस्टर विद्यालय में रखी गई अवसित दवाईयां

बालांगिर जिले में आईरन तथा डी-वार्मिंग गोलियां किसी भी नमूना जांच किए गए विद्यालयों में उपलब्ध नहीं थी जबकि इन गोलियों का बड़े स्टाक का जिला के अंतर्गत ब्लाक शिक्षा कार्यालयों में ढेर लगाया हुआ था। इन गोलियों की प्राप्ति की तिथि उपलब्ध नहीं थी।

चित्र 6: बालांगिर जिले में बी.ई.ओ. कार्यालय, मुरीबाहल में आई.एफ.ए. एवं डी-वार्मिंग गोलियों का ढेर लगाना।

चित्र 7: बालंगिर जिले में बी.ई.ओ. कार्यालय, गुडवैल में आई.ए.एफ. गोलियों का ढेर लगाना।

ऊपर प्रस्तुत उदाहरणों ने दर्शाया कि गोलियों का प्रापण आवश्यकता का निर्धारण किए बिना किया गया था। इस प्रकार, आवश्यकता पहचान हेतु प्रणालीगत प्रक्रिया तथा बुद्धिसंगत प्रापण नीतियों की कमी थी।

3.6.1.1 क्षेत्र विशिष्ट पौषणिक कमियों की पहचान हेतु सर्वेक्षण/अध्ययन

अनुबंध 11 का पैरा 2.9, दिशानिर्देशों के भाग II ख बताता है कि बच्चों में पौषणिक स्तरो की जांच करने हेतु सर्वेक्षण किया जाना था।

2009-10 से 2013-14 के दौरान **आन्ध्र प्रदेश, अ. एवं नि. द्वीपसमूह, गोवा, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, उत्तर प्रदेश** तथा **उत्तराखण्ड** राज्यों/सं.श.क्षे. में क्षेत्र विशिष्ट पोषणिक कमियों की पहचान करने हेतु कोई सर्वेक्षण या अध्ययन नहीं किया गया था।

3.6.2 स्वास्थ्य जांचो की अनुपालना का अभाव

राज्यों में नमूना जांच किए गए विद्यालयों की लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि कम से कम आठ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (अरूणाचल प्रदेश, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपूर तथा नागालैण्ड) में नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी। अन्य 14 राज्यों में की गई स्वास्थ्य जांचो की स्थिति तालिका 3.3 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार है:

तालिका 3.3: की गई स्वास्थ्य जांचो के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	नमूना जांच किए गए विद्यालयों में 2008 के दौरान की गई स्वास्थ्य जांचो की स्थिति
1.	गोवा	स्वास्थ्य जांच 14 विद्यालयों में वर्ष में एक बार, 10 विद्यालयों में वर्ष में दो बार की गई थी जबकि 3 विद्यालयों में कोई स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थीं।
2.	हरियाणा	60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से चार में स्वास्थ्य जांच नहीं की गई है।
3.	झारखण्ड	120 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 115 ने स्वास्थ्य जांच शिवरों का आयोजन नहीं किया था।
4.	कर्नाटक	120 विद्यालयों में केवल 5 स्वास्थ्य जांच की गई थीं।
5.	केरल	60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 28 ने निर्धारित स्वास्थ्य जांच नहीं की थी।
6.	मध्य प्रदेश	300 विद्यालयों में से 247 में स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी। 53 नमूना जांच किए गए विद्यालयों, जहां स्वास्थ्य जांच की गई थीं, में 186 बच्चो को या तो कुपोषित, विटामिन ए की कमी या फिर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित पाये गये।
7.	मेघालय	60 विद्यालयों में से 41 (68 प्रतिशत) ने बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं की थी।
8.	पंजाब	90 विद्यालयों में से 14 विद्यालयों (16 प्रतिशत) में डाक्टरो ने दौरे नहीं किए थे।

9.	तमिलनाडु	150 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 38 में वर्ष में केवल एक बार स्वास्थ्य जांच की गई थीं तथा 933 बच्चों को या तो कम वजन के, रूग्ण या फिर पोषकों की कमी पाया गया था।
10.	त्रिपुरा	नमूना जांच किए गए पश्चिम त्रिपूरा जिला में स्वास्थ्य जांच 8 प्रतिशत से 38 प्रतिशत विद्यालयों में की गई थीं जिनमें कुल नामांकित बच्चों में से केवल 6 प्रतिशत से 28 प्रतिशत बच्चों को शामिल किया गया था।
11.	उत्तराखण्ड	विद्यालयों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच वर्ष में दो बार की जानी थी परंतु अलमोड़ा तथा टिहरी के 60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में क्रमश: केवल 28 प्रतिशत तथा 36 प्रतिशत स्वास्थ्य जांच की गई थी।
12.	उत्तर प्रदेश	360 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 135 में कभी भी स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी।
13.	पश्चिम बंगाल	58 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में वर्ष 2009-14 के दौरान केवल 40 स्वास्थ्य जांच की गई थीं तथा कुल नामांकित बच्चों के केवल 7.96 प्रतिशत को शामिल किया गया था।
14.	चण्डीगढ़	2009-10 से 2013-14 के दौरान औसत आधार पर प्रत्येक वर्ष 119 स्वास्थ्य जांच की गई थीं तथा कुल नामांकित बच्चों के 57 प्रतिशत को शामिल किया गया था।

इसके अतिरिक्त, अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा सिक्किम में नियमित स्वास्थ्य जांच के अभिलेखों तथा रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया गया था। हिमाचल प्रदेश में नमूना जांच किए गए विद्यालयों के प्रधानाध्पकों ने बताया (सितबंर-नवम्बर 2014) कि बच्चो का स्वास्थ्य जांच कर रहे दलो ने विद्यालयों में अनुरक्षित रजिस्टरों में परिणामों को दर्ज नहीं किया था।

असम में, 120 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 42 ने स्वास्थ्य जांचो के किसी अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया था।

कर्नाटक में बच्चों के वजन, ऊंचाई तथा अन्य स्वास्थ्य स्थिति के अभिलेखो वाले रजिस्टर का, 120 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से, 66 में अनुरक्षण नहीं किया गया था।

पंजाब में 90 विद्यालयों में से 61 तथा उत्तर प्रदेश में 360 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 227 में स्वास्थ्य कार्डों तथा स्वास्थ्य रजिस्टरो का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

इस प्रकार स्वास्थ्य जांच की प्रणाली बड़े पैमाने पर उपेक्षित रही।

3.6.3 तौल मशीने/ऊचाँई रिकार्डर

असम, लक्षद्वीप तथा सिक्किम के नमूना जांच किए गए विद्यालयों में तौल मशीने तथा ऊचाँई रिकार्डर विद्यालयों को प्रदान नहीं किए गए थे जबकि **अरूणाचल प्रदेश** में तौल मशीने/ऊचाँई रिकार्डर 2006-07 से खराब थे। **उत्तर प्रदेश** में, 360 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 153 में तौल मशीने उपलब्ध नहीं थीं। **पंजाब** में 15 प्रतिशत विद्यालयों को तौल मशीने प्रदान नहीं की गई थीं।

छत्तीसगढ़ में 3057 विद्यालयों में से रायगढ़ में केवल 900 विद्यालयों में तौल मशीन तथा उचाँई रिकार्डर थे।

राजस्थान में पांच नमूना जांच किए गए जिलों में ऊचाँई मापने की मशीनों में 87.61 प्रतिशत तथा तौल मशीनों में 68.66 प्रतिशत की कमी थी।

त्रिपुरा में शिक्षा निदेशालय ने 6.37 लाख की 227 तौल मशीनों का प्रापण किया तथा इनका आगे विद्यालयों को संवितरण करने हेतु विद्यालय निरीक्षको (आई.एस.) को संवितरित किया 96 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से तौल मशीने केवल नौ विद्यालयों में उपलब्ध थीं जो दर्शाती है कि मशीनो को प्रत्याशित उपयोग में नहीं लाया जा रहा था।

3.6.4 गुणवत्ता भोजन का आश्वासन

जुलाई 2013 के एम.एच.आर.डी. के दिशानिर्देशों ने बताया कि एम.डी.एम. योजना के अंतर्गत गुणवत्ता, सुरक्षा तथा स्वच्छता को सुनिश्चित करने हेतु सभी राज्य/सं.शा.क्षे. एम.डी.एम. की नमूना जांच कराने हेतु सी.एस.आई.आर. संस्थानों/ पंजीकृत प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड को नियुक्त करेंगे।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 18 राज्यों/सं.शा.क्षे. (**आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, अ.एवं नि. द्वीपसमूह, बिहार, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा** तथा **उत्तर प्रदेश**) के नमूना जांच किए गए विद्यालयों में राज्य सरकारों ने बच्चों को गुणवत्ता भोजन को सुनिश्चित करने हेतु पके हुए भोजन की नमूना जांच कराने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानो तथा प्रयोगशालाओं को नियुक्त नहीं किया था।

गुजरात में, नमूना जांच किए गए जिलों ने भोजन के नमूनों की जांच करने हेतु किसी पंजीकृत प्रयोगशाला को नियुक्त नहीं किया था। 120 विद्यालयों के संयुक्त फील्ड दौरे के दौरान यह पाया गया था कि 2009-14 के दौरान 102 विद्यालयों में भोजन के नमूनों की जांच नहीं की गई थी।

ओडिशा के 148 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में बच्चो द्वारा उपभोग किए गए भोजन अथवा भोजन तैयार करने में उपयोग किए गए अनाज की गुणवत्ता की किसी भी प्रयोगशाला में जांच नहीं की गई थी।

अच्छे अभ्यास

एम.डी.एम. का सम्पूरण करने हेतु किचन गार्डन

अरूणाचल प्रदेश में सरकारी माध्यमिक विद्यालय, तेंगा, पश्चिम कामेंग जिला के विद्यालय प्राधिकारियों ने सब्जियां उगाने तथा दोपहर के भोजन का सम्पूरण करने हेतु विद्यालय के परिसर में किचन गार्डन की एक अच्छी पहल प्रारम्भ की थी जैसा नीचे चित्र से देखा जा सकता है:

चित्र 8: सरकारी माध्यमिक विद्यालय, तेंगा, पश्चिम कामेंग में किचन गार्डन

त्रिपुरा में किचन गार्डन को 55 विद्यालयों में शुरू किया गया था। इस अभ्यास को सभी विद्यालयों में प्रोत्साहित किया जा रहा था। ग्राम पंचायतों/नगर पंचायतों से इस उद्देश्य हेतु मनरेगा से कुछ श्रमदिवस प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

मणिपुर में भी विद्यालयों में किचन गार्डनिंग को विकसित किया गया था।

मध्य प्रदेश में, **भोपाल** तथा **जबलपुर** में रोटियां इलेक्ट्रिक मशीनों में बनाई गई थीं। परंतु उचित प्रकार से पकी नहीं थी जैसा चित्र में दर्शाया गया है:

चित्र 9 : इलेक्ट्रिक मशीन पर बनी आधी-पकी रोटी जिसे एन.जी.ओ. द्वारा प्राथमिक विद्यालय विजय नगर, भोपाल में प्रदान किया गया था, दिनांक 18 सितंबर 2014

मामला अध्ययन

1. भण्डारण हेतु मानीकीकृत प्रक्रियाओं का अनुपालन न किया जाना

एम.डी.एम. कार्यक्रम अपेक्षित करता है कि सुरक्षा तथा हाईजीन मानको को निर्धारित किया जाना चाहिए तथा उनका सख्ती से आचरण किया जाना चाहिए। एम.डी.एम. यह भी अनुबद्ध करता है कि गुणवत्ता तथा सुरक्षा पहलु हेतु अनाज को इंफेस्टेशन से बचाने हेतु, हवाबंद कंटेनरों/डिब्बों में नमी से दूर किसी स्थान पर भण्डारण किया जाना चाहिए। भोजन पकाने हेतु एक उठा हुआ प्लेटफार्म, पर्याप्त प्रकाश, उपयुक्त वायु-संचालन तथा निकासी एवं व्यर्थ निपटान के प्रबंध होने चाहिए। भोजन पकाने तथा परोसे जाने वाले बर्तन को प्रत्येक दिन उपयोग के

पश्चात उचित प्रकार से साफ तथा सुखाया जाना चाहिए।

चण्डीगढ़ में तीन स्थानों अर्थात् सेक्टर 22,30 तथा 30 पर रखे गए अनाज में भण्डारण हेतु पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं। परिणामस्वरूप, अनाज भण्डारण के दौरान, विशेषकर वर्षा के मौसम के दौरान, कीड़ो से अतिक्रमित हुआ। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि कीड़ो से अतिक्रमित अनाज की शिकायते भोजन पकाने वाले अभिकरणों से प्राप्त हो रहीं थीं।

2. अस्वस्थ्यकर परिस्थितियों में खराब गुणवत्ता के भोजन का पकाया जाना

चण्डीगढ़ में तीन अभिकरणो अर्थात् चण्डीगढ़ होटल प्रबंधन संस्थान (सी.आई.एच.एम.), अम्बेडकर होटल प्रबंधन संस्थान (ए.आई.एच.एम.) तथा चण्डीगढ़ औघोगिक तथा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (सी.आई.टी.सी.ओ.) चण्डीगढ़ के विद्यालयों में एम.डी.एम. पकाने हेतु नियुक्त थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि बच्चों/निरीक्षक (एम.डी.एम.) से सी.आई.टी.सी.ओ. द्वारा पकाए गए भोजन की खराब गुणवत्ता की कुछ शिकायतें प्राप्त की गई थीं। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दो विद्यालयों के संबंध में 162 बच्चों में से 122 (75 प्रतिशत) ने सूचित किया कि सी.आई.टी.सी.ओ. द्वारा पकाया गया भोजन उचित प्रकार से पका हुआ नहीं था, खराब स्वाद का था तथा कई बार स्वाद में खट्टा था। सी.आई.टी.सी.ओ. रसोई के दौरे के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि भोजन को अस्वस्थ्यकर परिस्थितियों में पकाया जा रहा था। खाना पकाने हेतु टूटे तथा गंदे बर्तनों का उपयोग किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त खाना पकाने हेतु उपयोग किया गये क्षेत्र में अंधेरा तथा कम रोशनी थी।

चित्र 10: सी.आई.टी.सी.ओ. का रसोई घर क्षेत्र

विभाग ने अपने उत्तर (दिसंबर 2014) में बताया कि भोजन की खराब गुणवत्ता तथा स्वाद से संबंधित मामले को सी.आई.टी.सी.ओ. तथा उच्च प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था तथा सी.आई.टी.सी.ओ. को सुधारात्मक उपाय करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। विभाग की कार्रवाई नरम होना प्रकट होती है तथा बल्कि सी.आई.टी.सी.ओ. के विरूद्ध एम.डी.एम. के सुरक्षा तथा हाईजीन मानको से समझौता करने हेतु सख्त कार्रवाई की मांग करती है।

3.6.4.1 विषाक्त भोजन/अस्पताल में भर्ती तथा बीमारी के उदाहरण

ओडिशा में 2013-14 के दौरान 19 विद्यालयों के 210 छात्रों ने एम.डी.एम. खाने के पश्चात बीमार महसूस किया तथा उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।

आन्ध्र प्रदेश, अदीलाबाद जिले में विषाक्त भोजन के चार मामले हुए थे तथा बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।

छत्तीसगढ़ में भोजन के नमूनों की जांच न कराने का परिणाम विद्यालयों में भोजन संदूषण की छः घटनाएं हुई थी। 108 बच्चों को 2009-14 के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

दिल्ली में 25 नवम्बर 2009 को एस.के.वी. विद्यालय, त्रिलोकपूरी में सेवा प्रदाता (मैसर्स राव रघुबीर सिंह सेवा समिति) द्वारा प्रदान किए गए भोजन की खराब गुणवत्ता के कारण 126 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। परिणामस्वरूप एम.डी.एम. आपूर्ति को 26 नवम्बर 2009 से 6 दिसंबर 2009 तक रोका रहा था।

इसी प्रकार, 2009-12 के दौरान एम.डी.एम. खाने के पश्चात बच्चों के बीमार पड़ने की विद्यालय में हुई 10 अलग घटनाओं, का परिणाम 305 बच्चों (सर्वोदया कन्या विद्यालय, त्रिलोकपुरी में अस्पताल में भर्ती कराए गए 126 बच्चों सहित) को अस्पताल में भर्ती कराने में हुआ। इसी प्रकार की घटना जूलाई 2013 में सभापुर में पूर्वी दिल्ली नगर निगम विद्यालय में हुई थी जिसका परिणाम पांच छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराने में हुआ था।

3.6.5 गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षको तथा माताओं को शामिल करने की योजना कार्य नहीं कर रहीं थी

दिशानिर्देशों का पैरा 4.3 अनुबंध करता है कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने हेतु शामिल किया जाना चाहिए कि (क) बच्चों को अच्छी गुणवत्ता, पौष्टिक भोजन प्रदान किया गया था, (ख) वास्तविक रूप से प्रदान किया जाना तथा खाया जाना स्वस्थकर स्थिति के अंतर्गत एकजुटता की भावना में तथा व्यवस्थित तरीके से शुरू किया गया था, तथा यह सुनिश्चित किया गया था कि तैयार किए गए भोजन को बच्चो को प्रदान किए जाने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित दो से तीन व्यस्कों द्वारा चखा गया था।

योजना के दिशानिर्देश (पैरा 4.4 का अनुबंध 10) विद्यालय में बच्चों को प्रदान किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच करने में बच्चों की माताओ को शामिल किए जाने की आवश्यकता पर बल डालते हैं।

नौ राज्यों (**असम, बिहार, दमन एवं दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मणिपुर** तथा **लक्षद्वीप**) में बच्चों को प्रदान किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता को चखने में शिक्षक शामिल नहीं थे। न ही इस संबंध में नमूना जांच किए गए विद्यालयों में किसी अभिलेख/रजिस्टर का अनुरक्षण किया जा रहा था। यह बच्चो को प्रदान किए गए भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु स्थापित जांचो तथा संतुलनो से समझौता करता है।

हिमाचल प्रदेश में संबंधित विद्यालयों के प्राधानाध्यापकों ने बताया (अगस्त-नवम्बर 2014) कि बच्चो की माताएं आकस्मिक दंग से विद्यालय का दौरा करती थी जबकि कर्नाटक में विद्यालयों ने उत्तर दिया कि वे विद्यालय आने तथा भोजन को चखने के अनिच्छुक थी। अन्य छः राज्यों की स्थिति नीचे तालिका 3.4 में दी गई है:

तालिका 3.4: पके हुए भोजन को न चखने के अवसर

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	नमूना जांच किए गए 120 विद्यालयों में से 86 में भोजन पकाने तथा बच्चों को खाना खिलाने का पर्यवेक्षण करने में माताओं की कोई भागीदारी नहीं थी। यह प्रमाणित करने हेतु किसी रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था कि पके हुए भोजन को शिक्षक द्वारा चखा गया था।
2.	हरियाणा	24 चयनित विद्यालयों, जहां पके हुए एम.डी.एम. की आई.एस.के.ओ.एन. द्वारा आपूर्ति की जा रही थी, में से केवल 6 विद्यालयों (25 प्रतिशत) में भोजन की गुणवत्ता पर शिक्षक की प्रतिपुष्टि सकारात्मक थी। बच्चों की प्रतिपुष्टि केवल 8 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ली गई थी जहां यह केवल 2 (25 प्रतिशत) विद्यालयों में सकारात्मक थी। इस प्रकार 75 प्रतिशत विद्यालयों में नकारात्मक प्रतिपुष्टि थी।
3.	ओडिशा	139 विद्यालयों (94 प्रतिशत) में भोजन पकाने तथा बच्चो को खाना खिलाने का पर्यवेक्षण करने में माताएं शामिल नहीं थी।
4.	पंजाब	90 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 59 विद्यालयों में माताएं पर्यवेक्षण करने/एम.डी.एम. हेतु भोजन तैयार करने में शामिल नहीं थीं।
5.	त्रिपुरा	96 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 11 (11 प्रतिशत) में भोजन को, बच्चों को प्रदान किए जाने से पहले, किसी भी शिक्षक अथवा माता द्वारा चखा नहीं गया था।
6.	उत्तर प्रदेश	29 विद्यालयों में शिक्षक यह सुनिश्चित करने में शामिल नहीं थे कि बच्चों को अच्छी गुणवत्ता का भोजन प्रदान किया गया था, जबकि 207 विद्यालयों में भोजन पकाने तथा बच्चो को प्रदान किए जाने का पर्यवेक्षण करने हेतु माताएं उपस्थित नहीं थीं।

इस प्रकार, बच्चों को प्रदान किए गए भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रणाली या तो स्थापित नहीं थी या फिर प्रलेखन की कमी के कारण इसके कार्य करने की सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता था।

3.6.6 कैलोरी मान को सुनिश्चित न किया जाना

योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना दिशानिर्देशों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक हेतु एम.डी.एम. में पोषणिक सामग्री क्रमश: (i) कैलोरी-450 तथा 700 तथा (ii) प्रोटीन-12 ग्राम तथा 20 ग्राम को निर्धारित किया। उपरोक्त पौषणिक सामग्री को निम्नलिखित सामग्रियों को प्रति बच्चा प्रति विद्यालय दिवस अनुसार बने एक पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है:

क्र.सं.	मद	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1.	चावल/ गेंहू	100 ग्राम	150 ग्राम
2.	दालें	20 ग्राम	30 ग्राम
3.	सब्जियां	50 ग्राम	75 ग्राम
4.	तेल	5 ग्राम	7.5 ग्राम
5.	सूक्ष्म पुष्टिकर	एन.आर.एच.एम. के साथ अभिसरण में आईरन, फॉलिक एसिड, विटामिन-ए आदि जैसे सूक्ष्मपुष्टिकरो की पर्याप्त प्रमात्राएं	

छत्तीसगढ़, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा के नमूना जांच किए गए विद्यालयों में बच्चों को प्रदान किए जा रहे पके हुए भोजन में प्रदत्त न्यूनतम कैलोरी तथा प्रोटीन सामग्री को सुनिश्चित करने हेतु किसी अभिलेख/रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था, जबकि **उत्तर** तथा **मध्य अण्डमान** में यह सुनिश्चित करने हेतु कि बच्चो को विनिर्दिष्ट संघटक प्रदान किए जा रहे थे, कोई प्रणाली स्थापित नहीं थी। इस प्रकार, एम.डी.एम. का लाभ उठा रहे बच्चों को आपूर्ति किए गए भोजन की अपेक्षित कैलोरी तथा प्रोटीन सामग्री को सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

मामला अध्ययन

पके हुए भोजन के नमूने, जो निर्धारित मानको को पूरा करने में विफल रहे

दिल्ली में 2010-14 की अवधि के दौरान श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान (एस.आर.आई.आई.आर.) ने 37 सेवा प्रदात्ताओं के पके हुए भोजन के नमूनो की जांच की थी। एस.आर.आई.आई.आर. ने पाया कि नमूनों की उच्च प्रतिशतता (89 प्रतिशत) निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रही जैसा नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	जांच किए गए नमूने की संख्या	विफल रहे नमूनों की संख्या	विफल रहे नमूनो की प्रतिशतता
2010-11	352	333	94
2011-12	565	541	95
2012-13	559	500	89
2013-14	626	502	80
कुल	**2102**	**1876**	**89**

इसके अतिरिक्त, 2013-14 के दौरान इन मामलों में कैलोरी का न्यूनतम तथा अधिकतम महत्व 137.90 तथा 559.40 कैलोरी के बीच था तथा प्रोटीन का महत्व 4.3 तथा 15.2 ग्राम के बीच था जो निर्धारित पौषणिक मान से कम था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि निदेशालय ने 31 मार्च 2014 को वर्ष 2014-15 हेतु 31 सेवा प्रदात्ताओं के आपूर्ति आदेशों को बढ़ाया, जबकि उनके अनाज के नमूने विफल थे। इसमें 12 सेवा प्रदाता वे शामिल थे जिन्हे पिछले चार वर्षों से प्रत्येक वर्ष दंडित किया गया था, जो इस प्रकार निरन्तर विफलता को दर्शाता है। निदेशालय ने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की थी तथा इसकी बजाए 37 चूककर्ता सेवा-प्रदाताओं पर केवल ₹77.25 लाख का दण्ड लगाया था।

नौ राज्यों में चयनित विद्यालयों/जिलों में अनाज की निर्धारित प्रमात्रा के प्रति बच्चों को प्रदान किए गए भोजन में अनाज की आपूर्ति में कमी पाई गए थी जिसने दर्शाया कि इन क्षेत्रो में यह निर्धारित पोषण बच्चो को प्रदान नहीं किया गया था।

कर्नाटक में, आई.एस.के.सी.ओ.एन., एक एन.जी.ओ. ने बल्लारी जिले के तालुकाओं (बल्लारी तथा होसापेट) में 304 विद्यालयों के बच्चों को एम.डी.एम. की आपूर्ति की थी। फिर भी इसने एम.डी.एम. तैयार करने में निर्धारित मापदण्डों से कम 10,44,536 कि.ग्रा. चावल का उपयोग किया था। ब्यौरे **अनुबंध-VIII** में दिए गए हैं।

3.6.7 डबल फोर्टिफाइड नमक का उपयोग

जुलाई 2013 के मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, एम.डी.एम. को पकाने हेतु केवल "डबल फोर्टिफाइड नमक" का उपयोग किया जाना चाहिए।

गोवा में सभी स्वयं सेवी समूह डबल फोर्टिफाइड नमक के स्थान पर आयोडीनयुक्त नमक का उपयोग कर रहे है।

उत्तर प्रदेश- 360 नमूना जांच किए गए पी.एस. तथा यू.पी.एस. के भौतिक सत्यापन ने प्रकट किया कि 18 विद्यालयों में तो आयोडीनयुक्त नमक का भी उपयोग नहीं किया गया था।

दिल्ली में रसोई में, डबल फोर्टिफाइड नमक का उपयोग, बाजार में इसकी अनुपलब्धता के कारण, नहीं किया जा रहा था।

3.6.8 विद्यालयों में अपातकालीन चिकित्सा योजना का अभाव

एम.एच.आर.डी. द्वारा जारी दिशानिर्देशों, दिनाँक 22 जुलाई 2013, का पैराग्राफ (XI) विद्यालय में किसी अप्रिय घटना के मामले में, विद्यालय के बच्चों को चिकित्सा उपचार प्रदान करने हेतु आपातकालीन चिकित्सा योजना की अभिकल्पना करने का प्रावधान करता है। जिला प्राधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए, कि बच्चों को पास की चिकित्सा सुविधा में अथवा विद्यालय हेतु एक डाक्टर की नियुक्ति करके, तत्काल चिकित्सा संज्ञान प्रदान किया जाता है।

दिल्ली में चयनित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने बताया (सितंबर से दिसंबर 2014) कि यघपि, किसी औपचारिक आपातकालीन योजना की अभिकल्पना नहीं की गई थी, फिर भी, किसी घटना के मामले में, उपचार करीबी सरकारी अस्पताल में अथवा प्राईवेट डाक्टर द्वारा किया जाएगा।

गोवा में यह पाया गया था कि 60 में से किसी भी विद्यालय में आपातकालीन चिकित्सा योजना के अंतर्गत कोई डाक्टर नियुक्त नहीं किया गया था। सभी विद्यालय, क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य केन्द्र पर निर्भर थे, जो अधिकांश मामलों में करीबी स्थान पर स्थित नहीं था। विभाग ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक को आपातकालीन चिकित्सा योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया था।

मणिपुर में, नमूना विद्यालयों द्वारा किसी आपातकालीन चिकित्सा योजना की अभिकल्पना नहीं की गई थी।

पंजाब में लेखापरीक्षा ने पाया कि 90 नमूना जांच किए गए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 80 में विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा कोई आपातकालीन योजना तैयार तथा प्रकाशित नही की गई थी। इसके अतिरिक्त निदेशालय/जिला स्तर पर इस संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए थे।

त्रिपुरा में विभाग ने किसी आपातकालिन चिकित्सा योजना की अभिकल्पना नहीं की थी।

3.6.9 अभिसरण कार्यों का अभाव

एम.डी.एम. योजना के दिशानिर्देशों ने प्रावधान है कि कार्यक्रम को, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित कुछ अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ, समीपी अभिसरण में कार्यान्वित किया जाना है जिससे कि योजना के कार्यान्वयन हेतु रसोइ घर-सह-भण्डार, जल आपूर्ति, रसोइघर उपकरणों, स्वास्थ्य जांच हेतु विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, सूक्ष्म-पुष्टिकरों का सम्पूरण, डी-वार्मिंग दवाईयां आदि जैसी सभी आवश्यकताओं को न्यूनतम संभावित समय सीमा में सभी विद्यालयों को प्रदान किया जा सके। उन मदो का विवरण जिन्हे अन्य योजना/कार्यक्रम के साथ समीपी अभिसरण की आवश्यकता है, **अनुबंध-IX** में दिया गया है।

मंत्रालय द्वारा योजना की त्रुटिपूर्ण मॉनीटरिंग तथा अन्य योजनाओं के साथ गैर-अभिसरण के कारण लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- केन्द्रीय सहायता की उपलब्धता के बावजूद, रसोइघर-सह-भण्डार का निर्माण नहीं किया गया था तथा एम.डी.एम. को खुली तथा अस्वस्थ्यकर परिस्थितियों में पकाया जा रहा था।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.आर.एम.) के साथ अभिसरण में किसी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन नहीं किया गया था।
- मंत्रालय की भूमिका बजट के आवंटन तक सीमित थी। इसने पेयजल, खाना पकाने हेतु रसोइघर उपकरण तथा उपयुक्त एवं सामयिक स्वास्थ्य जांचो जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं किया था।

- राज्यों ने योजनाओं के विभिन्न संघटको पर विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से योजना के अभिसरण की योजना नहीं की थी। गैर-अभिसरण तथा विभिन्न पणधारकों के बीच समन्वय की कमी के कुछ उदाहरण नीचे तालिका 3.5 में दिए गए है:

तालिका 3.5: गैर-अभिसरण के मामले

एम.डी.एम. योजना संघटक	योजनाओं के साथ अभिसरण/समन्वय की कमी	राज्य
स्वास्थ्य जांच	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	केरल
रसोई शेड का निर्माण	-सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना - सर्व शिक्षा अभियान - शहरी गरिबो हेतु मूल सेवाएं - शहरी श्रम रोजगार कार्यक्रम	मेघालय एवं उत्तर प्रदेश
पेयजल	-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम - स्वजलधारा	उत्तर प्रदेश
रसोईघर उपकरण	-सर्व शिक्षा अभियान	उत्तर प्रदेश

इसके अतिरिक्त, 34 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जिला/ब्लॉक/विद्यालय स्तर पर लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर 19 राज्यों के विभागों ने संबंधित विभागीय कार्यकर्ताओं से रसोइघर शेड़ो के निर्माण, पेय जल के प्रावधान, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमो आदि के संबंध में योगदान प्राप्त नहीं किए थे, जो एक ही उद्देश्य के प्रति विभिन्न अभिकरणों के, असंयुक्त प्रयासो का कारण बना। 19 राज्यों में अभिसरण की स्थिति **अनुबंध-X** में दी गई है। इस प्रकार, अभिसरण कार्यों को समन्वित ढ़ंग से नहीं किया गया था।

3.7 पूर्ण रूप से अपर्याप्त/असंतोषजनक खाना पकाने की अवसरंचना

अवसरंचना सुविधाओं जैसे कि विद्यालय स्तर पर रसोइघर-सह-भण्डार बच्चों को स्वास्थ्यकर, हाइजीनिक तथा गर्म पका हुए भोजन की आपूर्ति तथा अनाज के सुरक्षित भण्डारण का प्रावधान भी, एम.डी.एम. योजना के उपयुक्त कार्यान्वयन हेतु एक आवश्यक संघटक है। रसोइघर-सह-भण्डार अथवा अपर्याप्त सुविधाओं का अभाव बच्चों को स्वास्थ्य संकटो के साथ-साथ अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना के जोखिम में डालेगा। रसोइघर-सह-भण्डार के प्रावधान को, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, के तहत अनिवार्य भी बनाया गया था।

मंत्रालय ने मार्च 2014, तक विद्यालयों हेतु रसोइघर शैडो की 10,01,054 इकाईयां संस्वीकृत की थी। राज्यो/सं.शा.क्षे. ने 31 मार्च 2014 तक केवल 6,70,595 इकाईयों (67 प्रतिशत), का निर्माण किया है। **आन्ध्र प्रदेश** (17 प्रतिशत), **केरल** (13 प्रतिशत), **तमिलनाडु** (27 प्रतिशत), **मणिपुर** (38 प्रतिशत), **महाराष्ट्र** तथा **राजस्थान** (58 प्रतिशत), **झारखण्ड** (53 प्रतिशत), **उत्तराखण्ड** तथा **ओडिशा** (52 प्रतिशत), **अ.एवं नि. द्वीपसमूह** तथा **दा.एवं ना. हवेली** (2 प्रतिशत) के राज्यों/सं.शा.क्षे. में, निर्माण कार्य संस्वीकृत रसोइघर सह-भण्डारों के 60 प्रतिशत से भी कम, समाप्त किया गया था। (राज्य-वार स्थिति **अनुबंध-XI** में)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 26 नमूना जांच किए गए राज्यों में यह सुविधाएं अधिकतर त्रुटिपूर्ण थी जैसा **अनुबंध-XII** में विवरण दिया गया है।

तीन राज्यों/सं.शा.क्षे., **दादरा एवं नागर हवेली** (100 प्रतिशत नमूना जांच किए गए विद्यालय), **मणिपुर** (93.33 प्रतिशत नमूना जांच किए गए विद्यालय) तथा **अरूणाचल प्रदेश** (77.77 प्रतिशत नमूना जांच किए गए विद्यालय) में रसोईघर शैड नहीं थे। बिहार, **लक्षद्वीप** (100 प्रतिशत नमूना जांच किए गए विद्यालय), **अरूणाचल प्रदेश** (98 प्रतिशत नमूना जांच किए गए विद्यालय), **केरल**, **मणिपुर** तथा **नागालैण्ड** (90 प्रतिशत नमूना जांच किए गए विद्यालय), में एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं थे। **छत्तीसगढ़** में, 100 प्रतिशत नमूना जांच किए विद्यालय में पेय जल सुविधा नहीं थीं।

अत: 26 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 2854 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 931 विद्यालयों में पक्का रसोईघर शैड नहीं था, 684 में रसोई उपकरण बर्तन नही थे, 1389 में एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं थे तथा 396 विद्यालयों में पेयजल सुविधा नहीं थी।

मध्य प्रदेश अनुपपूर जिले में 30 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से छ: में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एक से अधिक रसोईघर शैड का निर्माण किया पाया गया था। एक विद्यालय से संबंधित फोटोग्राफ नीचे दी गई है:

चित्र 11: प्राथमिक विद्यालय मुलियाठोला, अनुपपुर, मध्यप्रदेश में निर्मित कई रसोईघर शैड दिनाँक 01 नवम्बर 2014

असम में, तीन नमूना जांच किए गए विद्यालयों में कोई रसोइघर शैड उपलब्ध नहीं थे तथा भोजन विद्यालय के गलियारे में पकाया जा रहा था जैसा नीचे दिए फोटोग्राफ से स्पष्ट है:

चित्र 12 ***ताराजन एच.एस.- जोरहट***

चित्र ***13: 5*** **वार्ड एल.पी.एस.- मरियानी, जोरहट**

इसी प्रकार, जी.पी.एस. एच.बी. कॉलोनी, हमिरपूर, हिमाचल प्रदेश में रसोईघर शैड के अभाव में भोजन को कक्षा में पकाया जा रहा था जैसा नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है:

चित्र 14: जी.पी.एस. एच.बी. कॉलोनी, हमिरपूर, हिमाचल प्रदेश में रसोईघर शैड के अभाव में भोजन को कक्षा में पकाया जा रहा था जैसा नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है:

तमिलनाडु में, पंचायत यूनियन माध्यमिक विद्यालय, पुल्लारम्बक्कम में रसोईघर शैड का निर्माण किया गया था परंतु उसे ठेकेदार द्वारा सुपुर्द नहीं किया गया था। पंचायत यूनियन माध्यमिक विद्यालय, नईक्कनूर में यह पाया गया था कि विद्यालय की पानी की अनुपलब्धता के कारण बच्चों को बाहर से पानी लाना पड़ता था जैसा नीचे चित्रो में दर्शाया गया है :

चित्र 15: ठेकेदार द्वारा 2 वर्षो तक के.सी.एस. को सूपूर्द नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप निर्मित ईमारत का उपयोग नहीं किया गया था (पी.यू.एम.एस., पुल्लारम्बावकम विद्यालय)

चित्र 16: पी.यू.पी.एस., नईक्कनूर में बच्चों को पानी के काम में लगाया गया पाया गया था।

ओडिशा में सात[9] विद्यालयों में नए रसोइघर शैड के निर्माण के बावजूद भोजन शैड में नहीं पकाया गया था क्योंकि शैड के आकार को भोजन पकाने हेतु अपर्याप्त माना गया था। परिणामस्वरूप, संबंधित व्यय निष्फल प्रस्तुत हुआ था। अखुआ ओडंगा उच्च विद्यालय, अखुआ ओडंगा के रसोईघर का चित्र नीचे दिया गया है :

चित्र 17: छोटा आकार (10'X9') होने के कारण एम.डी.एम. को नवनिर्मित रसोइघर शैड में नहीं पकाया गया था

चित्र 18: रसोइघर शैड में अपर्याप्त स्थान के कारण एम.डी.एम. को पुरानो कक्षा में पकाया गया है।

जिला रायगढ़, मध्यप्रदेश में एक विद्यालय में उपयुक्त बर्तनो की अनुपलब्धता के कारण एम.डी.एम. को बच्चों के हाथ में दिया जा रहा था जैसा नीचे फोटोग्राफ में दर्शाया गया है:

[9] केन्द्रापारा में अखुआ आडेंगा उच्च विद्यालय, बालंगिर में बड़ाबारकमुंडा पी.एस. एवं पितपाड़ा पी.एस. कंधामाला में हाटपाड़ा पी.एस.

चित्र 19: उपयुक्त बर्तानो के अभाव के कारण छात्रों के हाथो में एम.डी.एम. दिया जाना मिडिल विद्यालय, मोड़बादली, जिला रायगढ़, दिनाँक 31 अक्टूबर 2014

पक्का रसोइघर शैड के अभाव के परिणामस्वरूप भोजन को खुले/वरांडाह/रसोइया-सह-सहायक के घर के साथ-साथ कक्षाओं में तैयार किया जा रहा था जो कक्षाओं में बाधा डालने के अतिरिक्त बच्चों में स्वास्थ्य संकट का जोखिम डाल रहा था।

पुदुचेरी में विभिन्न केन्द्रीय रसोइघरों से विद्यालयों को पके हुए भोजन के परिवहन हेतु उपयोग किए गए 805 बर्तनो में से 210 कसे हुए ढक्कन (ऊपरी कवर) के बिना थे। बिना कसे हुए ढ़क्कन वाले बर्तनों में पके हुए भोजन का परिवहन भोजन की बर्वादी तथा संदुषण के जोखिम से भरा है। निम्न फोटोग्राफो के अस्वस्थ्यकर कार्यों को कैप्चर करते है:

चित्र 20: सी.के विल्लिनौर-बिना उपयुक्त ढ़क्कन के भोजन कन्टेनर तथा मक्खियों द्वारा सदूंषित भोजन

3.8 परिवहन प्रभारो का अधिक दावा

योजना दिशानिर्देशों के पैरा 2.3 (ii) (ख) के अनुसार केन्द्र सरकार को ₹75 प्रति क्विंटल की निर्धारित सीमा के तहत पास के एफ.सी.आई. गोदाम से विद्यालयों तक अनाज के परिवहन की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति करनी थी।

10 राज्यों (**मणिपुर, मेघालय, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा** तथा **नागालैण्ड**) में नोडल अभिकरणों ने वास्तविक से अधिक के परिवहन प्रभारों का दावा किया था जिसका परिणाम 2009-10 के दौरान ₹47.49 करोड़ के अधिक दावे में हुआ जैसा **अनुबंध-XIII** में ब्यौरा दिया गया है।

3.9 सूखा प्रभावित क्षेत्रो में एम.डी.एम. प्रदान करना

एम.डी.एम. दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 (4) ने अनुबंध किया कि दोपहर का भोजन गर्मीयों की छुट्टियों के दौरान उन क्षेत्रो के विद्यालयों में भी प्रदान किया जाएगा, जिन्हे सरकार द्वारा सूखा प्रभावित के रूप में औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया था। एक क्षेत्र को सूखा प्रभावित के रूप में घोषित किए जाने वाली अधिसूचना को उस समय जारी करने जब गर्मी की छूट्टियां पहले ही प्रारम्भ हो चुकी है अथवा आरम्भ होने वाली है के मामले के राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के निर्गम की प्रत्याशा में ऐसे क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर का भोजन प्रदान करना चाहिए। तमिलनाडु तथा उत्तराखण्ड में ₹116.90 करोड़ की निधियों का सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग नहीं किया जा सका था। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एम.डी.एम. प्रदान करने में पाई गई कमियों के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-XIV** में दिए गए हैं। ओडिशा के सूखा प्रभावित क्षेत्र में एम.डी.एम. में विसंगतियों को उजागर कर रहा मामला अध्ययन नीचे दिया गया है:-

मामला अध्ययन

ओडिशा में, राज्य सरकार ने वर्ष 2011, 2012 तथा 2013 के दौरान विभिन्न जिलों में कुछ ब्लाकों को सूखा प्रभावित के रूप में घोषित किया था। इन ब्लॉको में विद्यालयों में गर्मीयों की छूट्टियों के दौरान एम.डी.एम. प्रदान किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011, 2012 तथा 2013 हेतु निधियां 370 दिनों, 199 दिनों तथा 35 दिनों के विलम्ब से जारी की गई थीं जैसा नीचे तालिका में दिया गया है:

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छूट्टियों के दौरान एम.डी.एम. प्रदान न किया जाना

सूखे के रूप में घोषित फसल मौसम का नाम	क्षेत्र को सूखा प्रभावित घोषित करने वाली अधिसूचना की तिथि	प्रभावित ब्लॉकों/जिलो की संख्या	जिले को निधि जारी करने की तिथि	जारी राशि ₹ करोड़ में
खरीफ 2010	19 अप्रैल/ 2011	128 ब्लॉक/यू.एल.बी. जिसमे 17 जिले शामिल है	08 मई 2012 23 नवम्बर 2012	17.31 21.97
खरीफ 2011	29 फरवरी 2012	167 ब्लॉक/यू.एल.वी जिसमें 19 जिले शामिल है		
खरीफ 2012	18 फरवरी 2013	10 ब्लॉक जिसमें 04 जिले शामिल है	07 *जून* 2013	0.98

इसलिए, विभाग द्वारा गर्मी की छूट्टियां 2011 तथा 2012 की समाप्ति के पश्चात निधियां जारी की गई थी। परिणामस्वरूप, गर्मी की छूट्टियों के दौरान इन विद्यालयों में एम.डी.एम. प्रदान नहीं किया गया था।

निधि के निर्गम के पश्चात भी, राज्य नोडल कार्यालय (एम.डी.एम.) द्वारा अगली गर्मियों की छूट्टियों के दौरान बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। एक नमूना जांच किए गए जिले (केन्द्रपारा) में लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रदान की गई (मई 2012 तथा नवम्बर 2012) ₹99.79 लाख की पूर्ण निधियां अप्रयुक्त (सितंम्बर 2014) रहीं क्योंकि जिले में गर्मी की छूट्टियों के दौरान कोई दोपहर का भोजन प्रदान नहीं किया गया था।

इस प्रकार, कार्यान्वयन में कमी तथा जिला कार्यालयों के साथ राज्य कार्यालय के समन्वय की कमी के कारण, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बच्चे गर्मी की छूट्टियों में पका हुआ भोजन प्राप्त करने से वंचित थे। इसके अतिरिक्त, इस पर केन्द्रीय सहायता का लाभ भी नहीं उठाया जा सका था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2014)।

3.10 अनाज की परिवहन लागत का संशोधन

एम.डी.एम. दिशानिर्देश 2006 के अनुसार, परिवहन आर्थिक सहयता को विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु ₹100 प्रति क्विंटल तथा अन्य राज्यों हेतु ₹75 प्रति क्विटंल पर निर्धारित किया गया था। परिवहन सहायता की दरों को विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु अनुवर्ती वर्षों में संशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2013-14 हेतु परिवहन सहायता के उपयोग का विश्लेषण करते हुए पाया कि मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरे वास्तविक आधार पर नहीं थीं। कुछ उदाहरण नीचे **तालिका 3.5** में दिए गए हैं।

तालिका 3.6: परिवहन लागत की दरें

क्र.सं.	राज्य का नाम	मंत्रालय द्वारा निर्धारित परिवहन सहायता की दर (₹ में)	2013-14 के दौरान उठाया गया अनाज (एम.टी. में	राज्य द्वारा परिवहन सहायता पर व्यय (₹लाख में)	राज्य द्वारा उपगत परिवहन सहायता प्रति एम.टी. की दर (₹ में)
1.	गोवा	750	3938.02	17.85	453
2.	राजस्थान	750	109630.53	395.13	360
3.	सिक्किम	1820	2396.50	51.85	2164
4.	उत्तराखण्ड	1140	21460.22	345.46	1610
5.	उत्तर प्रदेश	750	275595.69	1945.92	706
6.	चंडीगढ़	750	910	6.39	702
7.	दमन एवं दीव	750	358.43	3.63	1013
8.	दिल्ली	750	30950.87	112.01	362
9.	दा. एवं ना. हवेली	750	952.39	11.19	1175

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 2013-14 के दौरान अनाज के परिवहन की वास्तविक लागत प्रत्येक राज्य में अलग थी। कुछ राज्यों में यह मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर स अधिक थी तथा कुछ मामलों में यह निर्धारित दर से कम थी।

इस प्रकार, मंत्रालय ने अनाज के परिवहन हेतु दरों को निर्धारित करने हेतु एक वैज्ञानिक आधार को नहीं अपनाया था। परिणामस्वरूप, कुछ राज्य एम.डी.एम. योजना को कार्यान्वित करने हेतु अतिरिक्त वित्तीय भार का सामना कर रहे थे।

3.11 भा.सं. द्वारा जारी एल.पी.जी. आर्थिक सहायता के अनुपयोग

विभिन्न राज्य सरकारों/सं.शा.क्षे. प्रशासनों को सितंबर 2012 में आर्थिक सहायता की वापसी के पश्चात एल.पी.जी. सिलेंडर के प्रापण द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय हेतु केन्द्रीय सहायता के निर्गम से संबंधित मंत्रालय के अभिलेखों ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने 2012-13 के दौरान 15 राज्यों/सं.शा.क्षे. को ₹296.52 करोड़ जारी किए थे। तथापि, कर्नाटक को छोड़कर सभी राज्य/सं.शा.क्षे. इस केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं कर सके थे तथा इसे अव्ययित के रूप में सूचित किया था। इन अव्ययित शेषों को 2013-14 के दौरान राज्यों/सं.शा.क्षे. को केन्द्रीय सहायता के अनुवर्ती निर्गमों से समायोजित किया गया था जैसा मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, 2013-14 के दौरान मंत्रालय ने 17 राज्यों को आर्थिक सहायता रहित एल.पी.जी. सिलेंडरो के प्रापण के प्रति केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹320.35 करोड़ जारी किए थे। लेखापरीक्षा जांच ने निम्न प्रकट किया:-

- लेखापरीक्षा उस आधार का पता नहीं लगा सकी थी जिस पर आर्थिक सहायता सहित एल.पी.जी. सिलेंडरो के प्रापण हेतु मंत्रालय द्वारा 2012-13 तथा 2013-14 में ₹296.52 करोड़ तथा ₹320.35 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। सूचना की मांग की गई थी परंतु प्रदान नहीं की गई (मार्च 2015)।
- **आन्ध्र प्रदेश, असम, पंजाब** तथा **उत्तर प्रदेश** राज्यों में एल.पी.जी. आर्थिक सहायता की अप्रयुक्त निधियां कुल ₹255.55 करोड़ थी। त्रिपुरा में ₹23.58 करोड़ की राशि का विद्यालय निरीक्षक (आई.एस.) सदर द्वारा अनियमित रूप से आहरण किया गया था। अन्य राज्यों में मामलो के ब्यौरे नीचे **तालिका 3.6** में दिए गए हैं। :

तालिका 3.6: एल.पी.जी. आर्थिक सहायता के अनुपयोग के मामले

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
1.	आन्ध्र प्रदेश	मंत्रालय ने वर्ष 2012-13 हेतु एम.डी.एम. योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता रहित एल.पी.जी. सिलेंडरो के प्रापण के लिए उपगत अतिरिक्त निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु आवर्ती केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹23.34 करोड़ की राशि जारी (मार्च 2013) की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान मार्च 2014 तक अप्रयुक्त पड़ी थी।
2.	असम	मंत्रालय ने आर्थिक सहायता रहित एल.पी.जी. सिलेंडरो के प्रापण हेतु ₹3.23 करोड़ की केन्द्रीय सहायता जारी की थी जिसे राज्य सरकार मंत्रालय द्वारा मार्च 2013 (₹छः लाख) तथा फरवरी 2014 (₹316.64 लाख) में प्राप्त किया गया था। पूर्ण निधि को नवम्बर 2014 तक राज्य नोडल कार्यालय (एस.एन.ओ.) को जारी नहीं किया गया था। इस प्रकार, एम.डी.एम. के अंतर्गत एल.पी.जी. के उपयोग गैस आधारित भोजन पकाने के प्रत्याशित उद्देश्य को कार्यान्वित नहीं किया गया था क्योंकि 98 प्रतिशत विद्यालय अभी भी लकड़ी का उपयोग कर रहे थे।
3.	पंजाब	मंत्रालय ने आवर्ती केन्द्रीय सहायता के रूप में वर्ष 2012-13 हेतु ₹21.81 करोड़ तथा 2013-14 हेतु ₹30.80 करोड़ जारी (मार्च 2013) किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने 2012-13 के दौरान कार्यान्वयन अभिकरण को ₹21.81 करोड़ जारी किए थे तथा ₹1.52 करोड़ का व्यय एल.पी.जी. आर्थिक सहायता की प्रतिपूर्ति पर किया गया था तथा शेष ₹20.29 करोड़ का भोजन पकाने की लागत के प्रति उपयोग किया गया था। वर्ष 2013-14 के लिए ₹30.80 करोड़ की केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार के पास अवरूद्ध रही। इस प्रकार, विद्यालय स्तर से उनकी आवश्यकता प्राप्त किए बिना एल.पी.जी. आर्थिक सहायता की मांग का परिणाम ₹30.80 करोड़ के अवरोधन के अतिरिक्त, ₹20.29 करोड़ के अनियमित उपयोग में हुआ। विभाग ने बताया (सितंबर 2014) कि जारी की गई निधियों को गैस सिलेंडरो की रिफीलिंग की मूल पर्ची की कमी के कारण विद्यालयों को संवितरित नहीं किया जा सका था। फिर भी, डी.ई.ओ. होशियारपुर ने बताया कि ना तो विद्यालयों से एल.पी.जी. सिलेंडर की आर्थिक सहायता रहित लागत की क्षतिपूर्ति की कोई मांग की गई थी और न ही जिले द्वारा कोई मांग प्रस्तुत की गई थी। इसके अतिरिक्त, ₹30.80 करोड़ के संबंध में विभाग ने बताया कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान निधियां जारी नहीं की थी। जिसे मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु पुन: मान्य किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निधियों की मांग को विद्यालयों से निधियों की वास्तविक आवश्यकता को प्राप्त किए बिना निदेशालय स्तर पर प्रस्तुत किया गया था।

4.	त्रिपुरा	भारत सरकार ने आर्थिक सहायता रहित एल.पी.जी. सिलेंडर के प्रापण हेतु त्रिपूरा सरकार द्वारा अपगत अतिरिक्त निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु ₹70.71 लाख (2012-13: ₹34.50 लाख तथा 2013-14: ₹36.21 लाख) संस्वीकृत किए। फिर भी विद्यालय निरीक्षक (ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारी) सदर-ए के अभिलेखों से यह पाया गया था कि किसी भी विद्यालय के पास वैध एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं था। इसके अतिरिक्त, विद्यालय निरीक्षक (आई.एस.) ने 91 विद्यालय द्वारा विभिन्न अप्राधिकृत अभिकरणों से एकत्रित करके प्रस्तुत वाउचरों के आधार पर ₹23.58 लाख का अनियमित रूप से आहरण किया था जो ₹23.58 की अनियमित वापसी का कारण बना।
5.	उत्तर प्रदेश	मंत्रालय ने एल.पी.जी. की अन्तरीय लागत की प्रतिपूर्ति हेतु 2012-14 के दौरान ₹198.95 करोड़ जारी किए थे जिसमें से केवल ₹0.77 करोड़ का उपयोग किया गया था जो दर्शाता है कि मंत्रालय ने वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना निधियों की मांग की गई थी।

ऊपर प्रस्तुत उदाहरण दर्शाते हैं कि निधयां जारी करने हेतु मंत्रालय का कार्य एक सुविचारित योजना के परिणाम के बजाए आपूर्ति संचालित था।

अनुशंसाए:

- निरीक्षणो की प्रणाली को यह सुनिश्चित करने हेतु सुदृढ़ किया जाना चाहिए कि कम से कम स्पष्ट औसत गुणवत्ता, जैसी निर्धारित की गई है, के अनाज एफ.सी.आई. डिपो से प्राप्त किए गए है। राज्य सरकारो को इस संबंध में कमी हेतु जवाबदेही निर्धारित करनी चाहिए।
- अन्य विभागों के साथ अभिसरण कार्यों को रसोइघर शैडो तथा पेय जल सुविधा के प्रावधान जैसी अवसरंचनात्मक सुविधाओं में कमियों से निपटने हेतु त्वरित किया जाना चाहिए। मंत्रालय नियमित स्वास्थ्य जांचो, जैसा निर्धारित है, को सुनिश्चित करे तथा राज्यो को बच्चों के पौषणिक स्तर में सुधार का पता लगाने हेतु ऐसी स्वास्थ्य जांचो के परिणामों का प्रलेखन करने की सलाह भी दे। प्रत्येक विद्यालय में तौल मशीन तथा ऊचाँई रिकार्डर के प्रावधान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- एम.डी.एम. योजना प्रवृति में शबल हो सकती है तथा इसे स्वाद एवं उपलब्धता के क्षेत्रीय विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विरसता को कम करने हेतु सूखा राशन आधारित भोजन के बजाए वैकल्पिक पोषण, स्थानीय पैदावार का प्रावधान करके नम्य बनाया जा सकता है।